तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मुकदमा नंबर 91/2019उनवान बीरबलराम बनाम दौलाराम निर्णय दिनांक 15.01.2026	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
15.01.2026	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित। बहस विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान सुनी गई। विद्वान वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा क्रमांक भू.अ./22/65 दिनांक 18.05.2022 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा आपति प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर प्रस्तुत आपति स्वीकार करते हुए तहसीलदार श्रीडूंगरगढ से उक्त विभाजन प्रस्ताव पर टिप्पणी प्रस्तुत करनें हेतु निर्देशित किया गया था। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./2025/158 दिनांक 10.07.2025 को प्रस्तुत की गई है। उक्त रिपोर्ट में तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा दोनो पक्षों को मौके पर बुलाया गया एवं पूर्व आदेश की पालना में दोनो पक्षकारों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गई। मौका रिपोर्ट में वर्णित है कि दौलाराम एवं हंसराज ने मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करनें से मना किया था। मेरा सभी खसरान भूमि में 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है परन्तु मेरा कब्जा काश्त केवल खसरा नंबर 805 व 709 मे ही है एवं तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में रकबा सभी पक्षकारों के मुताबिक रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौका कब्जा काश्त के अनुसार ही प्रस्तुत किया गया है। वादी एवं प्रतिवादीगण का कब्जा अलग–अलग चला आ रहा है जिस समय पर वादी व प्रतिवादीगण ने अलग–अलग कब्जे के अनुसार अलग–अलग काश्त करनी शुरू की विभाजन किया गया उस समय सभी जमीन की कीमत एक समान थी। अब प्रतिवादीगण के मन में लालच आ गया है। अंत में विद्वान वादी अधिवक्ता ने तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया गया एवं अपनी बहस के समर्थन में माननीय बोर्ड ऑफ रेवन्यू के न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2014(1) 356 ओमप्रकाश बनाम सुरेन्द्र शर्मा आदि निर्णय दिनांक 07.11.2013, आरएलडब्ल्यू 2016(1) महावीर प्रसाद बनाम गुरूदयाल वगै. निर्णय दिनांक 22.06.2015, आरएलडब्ल्यू 2013(1) आरजे 598 सुरेश कुमार आदि बनाम रामखिलाडी आदि निर्णय दिनांक 26.04.2012 पेश की गई। विद्वान प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस करते हुए कथन किया गया कि खेत खसरा नंबर 805 में भी हम सभी सहखातेदारों का 1/4 हिस्सा स्थित है। इसलिए खसरा नंबर 805 में भी सभी सहखातेदारों में भूमि का समान रूप से विभाजन होना चाहिए। खसरा नंबर 805 आबादी के पास कीमती खेत है, मेरा कब्जा है क्योकि में संभालने जाता हूं किन्तु वादी मुझे खसरा नंबर 805 में	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.02.09 16:16:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

घुसने नहीं देते है। बाकी तीन खसरें खसरा नंबर 1954/290,661,709 में भी वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 प्रत्येक 1/4 हिस्सा बराबर हिस्से के काश्तकार है एवं तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को खारिज किया जाकर पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने का निवेदन किया गया एवं अपनी बहस के समर्थन में माननीय बोर्ड रेवन्यू के न्यायिक दृष्टान्त 2021(2) आरआरटी 858 भैरूलाल बनाम दिलीप कुमार वगै. व आरआरडी–14.12.2019 हजारीलाल बनाम मीठूलाल वगै. निर्णय दिनांक 15.05.2019 पेश की गई।

पैरोकारराज ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि उक्त मौका रिपोर्ट में तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा दोनो पक्षों को मौके पर बुलाया गया एवं पूर्व आदेश की पालना में दोनो पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार किया गया था। जिसमें दौलाराम एवं हंसराज ने मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करनें से मना किया था। मौके पर हसंराज व दौलाराम से पूछताछ करनें पर बताया की ग्राम मोमासर के खसरा नंबर 805 पर बीरबलराम व कमला देवी का ही कब्जा काश्त रहा है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड के अनुसार ग्राम मोमासर के खसरा नंबर 1954/290 तादादी 2.16 हैक्टेयर, खसरा नंबर 661 तादादी 3.16 हैक्टेयर, खसरा नंबर 709 तादादी 8.94 हैक्टेयर व खसरा नंबर 805 तादादी 3.04 हैक्टेयर कुल तादादी 17.30 हैक्टेयर मे से वादी बीरबलराम का हिस्सा 1/4 हिस्सा यानि 4.3250 हैक्टयेर बनता है। उतना ही रकबा विभाजन प्रस्ताव में दिया गया है। अन्य सभी पक्षकारों को भी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार ही रकबा विभाजन प्रस्ताव में दिया गया है। वादगत खेतो में दर्ज रकबा को कब्जे काश्त के अनुसार व यथासंभव एक साथ दिया गया है। खेतो के टुकडे यथासंभव कम से कम किये गये है। प्रत्येक पक्षकार के आवागमन का रास्ता दर्शाया गया है, पक्षकारों के कब्जे काश्त के अनुसार ही विभाजन प्रस्ताव बनाया गया है व हिस्से के अनुसार ही रकबा दिया गया है। मौके पर कब्ज काश्त के अनुसार कायम सीमाओ के अनुसार नजरी नक्शे में दर्शाया गया है। विभाजन प्रस्ताव उक्त सभी शर्तो को ध्यान में रखतें हुए मौके पर बनाया गया है। उपस्थिति में सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये । दौलाराम व हंसराज ने हस्ताक्षर करनें से मना [illegible]

हमने उभयपक्षकारान की ब[illegible] प[illegible]नन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलो[illegible] किया गया। वादगत खसरान भूमि के संबंध में [illegible] की सहमति से तहसील[illegible] श्रीडूंगरगढ [illegible] विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करनें हेतु निर्देशित किया गया था। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा दिनांक 19.05.2022 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तहसीलदार द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.02.09 15:18:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर प्रतिवादीगण द्वारा आपति प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को पुनः विभाजन प्रस्ताव पर टिप्पणी हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा दिनांक 11.07.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिसके अनुसार तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा दोनो पक्षों को बुलाया गया एवं पूर्व आदेश की पालना में दोनो पक्षकारों की उपस्थिति मे विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया था। जिसमें दौलाराम एवं हंसराज ने मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करनें से मना किया था। मौके पर हसंराज व दौलाराम से पूछताछ करनें पर बताया की ग्राम मोमासर के खसरा नंबर 805 पर बीरबलराम व कमला देवी का ही कब्जा काश्त रहा है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड के अनुसार ग्राम मोमासर के खसरा नंबर 1954/290 तादादी 2.16 हैक्टेयर, खसरा नंबर 661 तादादी 3.16 हैक्टेयर, खसरा नंबर 709 तादादी 8.94 हैक्टेयर व खसरा नंबर 805 तादादी 3.04 हैक्टेयर कुल तादादी 17.30 हैक्टेयर मे से वादी बीरबलराम का हिस्सा 1/4 हिस्सा यानि 4.3250 हैक्टयेर बनता है। उतना ही रकबा विभाजन प्रस्ताव में दिया गया है। अन्य सभी पक्षकारों को भी मुताबिक रिकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार रकबा विभाजन प्रस्ताव में दिया गया है। वादगत खेतो में दर्ज रकबा को कब्जे काश्त के अनुसार एक साथ दिया गया है। खेतो के टुकडे कम से कम किये गये है। प्रत्येक पक्षकार के आवागमन का रास्ता दर्शाया गया है, पक्षकारों के कब्जे काश्त के अनुसार ही विभाजन प्रस्ताव बनाया गया है व हिस्से के अनुसार ही रकबा दिया गया है। मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार कायम सीमाओ के अनुसार नजरी नक्शे में दर्शाया गया है। उक्त विभाजन प्रस्ताव सभी शर्तो को ध्यान में रखतें हुए बनाया गया है। विभाजन प्रस्ताव मौके पर बनाया गया जाकर उपस्थिति में सहमति स्वरूप हस्ताक्षर लिये गये है एवं दौलाराम व हंसराज ने हस्ताक्षर करनें से मना किया। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा उभयपक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव कब्जा काश्त के अनुसार तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा क्रमांक भू.अ./22/65 दिनांक 18.05.2022 प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का आदेश दिया जाता है। रहन यथावत् रहेगा। डिक्री [illegible]।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पश्चात बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.02.09 15:16:45 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

अन्तिम डिकी मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी शुभम शर्मा आरएएस

उनवान

बीरबलराम पुत्र पनाराम जाति मेघवाल निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

बनाम

1. दौलाराम 2. हंसराम पुत्रगण पनाराम 3. चुन्नीदेवी पत्नि पनाराम 4. कमला पत्नि बीरबलराम जाति मेघवाल निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर 5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ 6. उप पंजीयक पजीयन कार्यालय श्रीडूंगरगढ

मुकदमा नम्बर 91/2019

दावा बाबत खाता विभाजन, घोषणात्मक, चिरनिषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः 15.01.2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री राजूराम बाना अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की ओर से श्री साजिद खान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही, स्टेट की ओर से पैरोकारराज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 1954/290 तादादी 2.1600 हैक्टयर, खसरा नम्बर 661 तादादी 3.1600 हैक्टयर, खसरा नम्बर 709 तादादी 8.9400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 805 तादादी 3.0400 हैक्टेयर वाकेरोही मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता विभाजन निम्नानुसार किया जाता है

प्रस्तावित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	किस्म
कमला पत्नी बीरबलराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	805 मीन दक्षिणी	0.7600	बारानी
बीरबलराम पुत्र पनाराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार राहिन हि.3565/4325 BRKGB शाखा मोमासर मूर्तहिन रहन 1/4 हि. ख. न. 661, 1954/290 व 709	805 मीन उतरी	2.2800	बारानी
	709 मीन उतर	2.0450	बारानी
	किता 2	4.3250	
चुनी पत्नी स्व. पनाराम हि. 3565/12215 दोलाराम हंसराज पुत्रगण पनाराम हि. 8650/12215 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	661	3.1600	बारानी
	1954/290	2.1600	बारानी
	709 मीन दक्षिणी पश्चिमी	6.8950	बारानी
	किता 3	12.2150	

नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। रहन यथावत रहेगा। तहसीलदार, श्री डूँगरगढ तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 15 माह 01 सन् 2026 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्री डूँगरगढ
उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.02.09 15:16:45 IST
Reason: SelfAttested

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)